

फाइल सं० इ/275/27/0/ए/इ- 4ए

सन 1978 का रेलपथ परिपत्र सं० 66.....

विषय:- निर्देशित रेलपथ अनुरक्षण (निरपानु०)

1- परिचय

1.1- निर्देशित रेलपथ अनुरक्षण द्वारा रेलपथ का अधिक स्वल्प, उन्नत पर्यवेक्षण होता है इसमें रेलपथ के निरीक्षण और उसमें त्रुटियों की सही पहचान तथा उनके निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस पद्धति में आवश्यकता जनित अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, न कि सामान्य परम्परागत अनुरक्षण पर। निरपानु० इकाई का इलाका गैंग के परम्परागत इलाके से अधिक होता है, निरपानु० दल का इलाका दो गैंगों के परम्परागत इलाकों को सम्मिलित करके बनाया जाता है। उत्तम पर्यवेक्षण के कारण रेलपथ सम्बन्धित कार्यों में गुणात्मक वृद्धि होती है तथा उत्पादित (प्रभाव शीलता) बढ़ती है।

अनावश्यक कार्यों के न करने से रेलपथ अनुरक्षण में लगी श्रम-शक्ति में सराहनीय कमी आती है।

रेलपथ अनुरक्षण के लिये श्रम-शक्ति में प्रत्यक्ष कमी से हुयी बचत के अतिरिक्त रेलपथ के अनुरक्षण-स्तर की उन्नति से स्वतः अनुरक्षण में श्रम शक्ति की आवश्यकता निरतिर कम होती जाती है और रेलपथ अवयवों तथा चल स्टाक में घिसाई-पिट्टाई जनित बर्तन कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त कर्षण - प्रतिरोध (ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस) तथा इंधन व्यय में भी पर्याप्त कमी होती है।

20 - निरेपानु० का ध्येय

रेलपथ के अनुरक्षण स्तर की श्रेष्ठता ही निरेपानु० का ध्येय है । श्रेष्ठता का मतलब है कर्मचारियों की उत्पादितता ।

रेलपथ के गुण में निरंतर सुधार के साथ साथ रेलपथ वाले कर्मचारियों में अधिकतम सुरक्षाली ।

30 निरेपानु लागू करने हेतु गैंगी तथा उनके इलाकों का पुर्नगठन

अनुिक्षण 31 निरेपानु० इकाइयों का अनुरक्ष क्षेत्र

निरेपानु० दल का इलाका आमतौर पर दोहरी लाइन 9 किलोमीटर, प्रमुख, मुख्य और शाखा लाइनों पर 12 कि०मी० होना चाहिये ।

दोहरी लाइनों पर 3 कि०मी० इलाके वाली वर्तमान 3 गैंगी की मिलाकर तथा प्रमुख मुख्य व शाखा लाइनों पर वर्तमान 2 गैंगी को मिलाकर निरेपानु० दल बनाया जा सकता है ।

पर्यवेक्षण 321 पर्यवेक्षण:

निरेपानु० दल एक " गैंग नायक " के अधीन कार्य करेगा जिसका पद रेलपथ मिस्त्रि से कम का नहीं होगा ।

322 अगर एक दल में दो मेट हैं तो एक मेट, गैंग- नायक के साथ रेलपथ ज्यामिति की मापी करेगा तथा दूसरा मेट इस अवधि में इलाके में हो रहे काम का पर्यवेक्षण करेगा । दोनों मेटों के काम को समय समय पर अदला - बदली कर दी जानी जानी चाहिए । दल में एक मेट होने पर वह वह दल के काम

का पर्यवेक्षण करेगा और गैंग-नायक एक साक्षर गैंगमैन की सहायता से रेल पथ ज्योमिति की मापी करेगा ।

3.2.3 - क्यों कि वर्तमान गैंगों की ही सम्मिलित किया जा रहा है अतः चाभी वाला पहले पहर में आज कल की तरह ही रेलपथ का निरीक्षण करेगा तथा दोपहर बाद निरेपानु0 दल के साथ, गैंग नायक के आदेशानुसार काम करेगा ।

4.0 - निरेपानु0 की विधि :

निरेपानु0 के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रिया-कलाप आते हैं:-

- 1- रेलपथ में विकारों (खराबियों) की खोज ।
- 2- रेलपथ के विकारों का निवारण ।
- 3- विकार - निवारण के बाद रेलपथ की पुनः जाँच ।
उपर्युक्त को विस्तार पूर्वक नीचे समझाया गया है ।

4.1 - विकारों (खराबियों) की खोज :

4.1.1- रेलपथ में व्याप्त खराबियों की खोज तथा उनकी माप का कार्य गैंग-नायक (रेल पथ मिस्त्री अथवा अरेपनि0) को करना है ।

किसी दिन कार्यकाल के प्रथम 2 घण्टों में गैंग-नायक उस स्थान से आगे की जाँच शुरू करेगा जहाँ तक के लिये काम का नियतन किया जा चुका है तथा उस दिन पूरा हो जाने की सम्भावना है । जाँच के लिये रेलपथ की इतनी लम्बाई चुननी चाहिये जो निरेपानु0 इकाई के अगले विकार-निवारण के लिये काफी हो ।

रेलपथ की खराबियों का विवरण दल निरीक्षण पुस्तिका में लिखा जायेगा (दल निरीक्षण पुस्तिका का प्राप्त तथा उसके भरने की विधि के लिए अनुच्छेद 4.1.6 तथा अनुलग्नक 1 देखें) और निरेपानु0 दल को, स्लीपर कुटाई (स्लीपर पैकिंग), गज (गेज), आड़ा पंसा (क्रॉस लेवल),

सीधाई (स्लाईन्मेंट) तथा रेल सतह विषमता (अनई वननेस) आदि विकारों को निवारण करने का आदेश दे दिया जायेगा ताकि रेलपथ के विकारों को अनुच्छेद 4.2 में दर्शायी गयी निर्धारित कूट की सीमाओं के अन्तर्गत लाया जा सके। मोटे तौर पर रेलपथ के विकारों की पहचान का कार्य रेलपथ अभिलेखी - यान (ट्रैक रेकार्डिंग कार) हैलेड रेलपथ अभिलेखी यंत्र, गाढ़े के डिब्बे तथा इंजन के पावदान से किये गये निरीक्षणों के आधार पर भी किया जा सकता है।

निरेपानु० के अन्तर्गत लाये जाने वाले रेलपथ में प्रत्येक दो तार के छम्भों के बीच के स्लीपर्स पर बढ़ते हुए कि०मी० की दिशा में क्रमांक डाल देना चाहिये। सज्ज वर्ग के स्लीपर्स पर छौद कर तथा अन्य किस्म के मुलायम स्लीपर्स पर पेन्ट से क्रमांक लिख देना चाहिये।

4.1.3 - निरेपानु० के अन्तर्गत लाये जाने वाले रेलपथ के प्रत्येक कि०मी० में हर एक रेल को भी बढ़ते कि०मी० की दिशा में क्रमांक दे देना चाहिये। बायीं तरफ की रेलों की विषम संख्या तथा दायीं तरफ वाली में सम संख्या डालनी चाहिये। ऐसा कर देने पर रेलपथ के दूसरे अवयवों (कम्पोनेन्ट्स) जैसे जोड़ पट्टी (फ्लिश प्लेट), जोड़ काबला, स्लीपर-स्थिरकों आदि के स्थान रेल स्वयं स्लीपर संख्याओं के आधार पर निश्चित किया जा सकेगा।

4.1.4 - एक दल निरीक्षण पुस्तिका बनानी आवश्यक है जिसमें अनुसूचण का विवरण दर्ज किया जायेगा। पुस्तिका का प्राप्ति तथा उसके भरने का तरीका, नमूने के तौर पर अनुलग्नक -1 में दर्शाया गया है।

4.1.5 - गैम - नायक एक मेट या साक्षर गैममेन तथा ठेलेवाले की मदद से रेलपथ के विकारों की मापी करेगा तथा उनकी दल निरीक्षण पुस्तिका में लिख लेगा। कांटो कैचियों और रेल सारकन (क्रीप) से सम्बन्धित विकारों को भी उपरोक्त पुस्तिका में लिखा जाना चाहिये।

रेल स्तर विषमता, गज, आड़ा पंसांल तथा रेल सेंठन (भाज) आदि विकारों की मापी लेते समय पट्टीदार जोड़ों को माप- बिन्दु रखना ही होगा, यद्यपि यह किसी स्लीपर पर नहीं होगा।

4.1.6 - रेलपथ में पाये गये विकारों को चिन्हों से निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जायेगा।

क्र० सं०	विकार	नाम के स्थान	विकार की चिन्ह	चिन्ह लगाने का स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

1. आड़ा पंसांल (ब्रास लेवल)	छोटी लाइन में 2.74 मी० तथा बड़ी लाइन में 3.6 मी० की दूरी पर एवं प्रत्येक जोड़ पर।	C	स्लीपर पर रेल के अन्दर की तरफ	आड़े पंसांल की नाप बायीं रेल को आधार मान कर ली जायेगी। एकहरी लाइन में बढ़ते कि०मी० तथा दोहरी लाइन में याता-यात की दिया के सन्दर्भ में बायीं रेल की पहचान की जायेगी।
-----------------------------	---	---	-------------------------------	---

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

2. सीधाई (स्लाईन-मेन्ट) पूरे रेलपथ पर

रेल फ्लैज में अंदर की तरफ

नजर द्वारा जगह मालूम की जायेगी तथा नाइलान की ठोरी द्वारा नापी जायेगी। रेल के सामानान्तर तीर लम्बी निशान रेलपथ की लम्बाई को बतायेगी जिसमें सीधाई का सुधार करना है और आड़ी दिशा में तीर लम्बी निशान सीधाई सुधार की दिशा बतायेगी।

3. विषम रेल सतह (स्नैक वननैस)

पूरे रेलपथ पर छोटी लाईन में 2.74 मी० तथा बड़ी लाईन में 3.6 मी० आधार पर जोड़ा की मापी आवश्यक है।

अंदर के रेल पेटा पर।

अबि से रेल के सिरे के बाहरी-निक्ली कोर देख कर जगह मालूम की जायेगी और नाइलान ठोरी से उसे नापा जायेगा। तीर चिन्हों के बीच की दूरी उस लम्बाई को बतायेगी जिसमें विषम रेल सतह को भरना है

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

4 कच्ची कुटार्ई प्रत्येक स्लीपर पर। स्लीपर पर कुटार में कच्चेपन पटरी के बाहर का अंदाजा कौनेबोल (जचि-गदा) से लगाया जायेगा।

5 गज जोड़ पट्टी या झलार्ई वाले जोड़ के दोनों ओर के दो स्लीपर पर तथा अन्य स्लीपरो में एक एक जोड़ कर। स्लीपर पर रेल से अंदर की तरफ।

6 टोलै दूटे तथा अनुपस्थित स्थिरक बढ़िया स्थिरक या मिट्टी या उसके स्थान के पेन्ट का पास दाग

4.1.7 दल निरीक्षण पुस्तिका (जिसकी कपाई की व्यवस्था रेलवे प्रेस से अलग से की जा रही है) की उपलब्धि होने तक मण्डलों को इस कार्य हेतु रजिस्टरी प्रयोग की व्यवस्था कर लेनी चाहिये।

4.2 विकार निवारण

4.2.1 कूट की सीमार्ये:- 20 प्रतिशत से अधिक स्लीपरो को कुटार्ई कच्ची होने पर पूरी रेल/पैन्ल में प्रत्येक स्लीपर को कुटार्ई की जानी चाहिये। अन्यथा कच्चे स्लीपर तथा बगल के दो स्लीपरो की कुटार्ई की जानी चाहिये। कूटियों के निम्नलिखित सीमार्ये से अधिक होने पर रेलपथ को ठीक करना उचित होगा।

रैलपथ अनुरक्षण के लिए कूटियों की प्रस्तावित सीमाएं

परिमापी (पैरामी०)	रैलपथ में कूटियों की सीमायें जिनके उपरान्त कूटि होना चाहिए ।			
	प्रमुख (ट्रिंक) तथा मुख्य (मैन) लाइन		शाखा तथा अन्य गैल लाइन	
	बड़ी लाइन	छोटी लाइन	बड़ी लाइन	छोटी लाइन

1 - गज + 3 मि०मी० + 3 मि०मी० + 6 मि०मी० + 6 मि०मी०

2 - जेढ़ो पर + 3 मि०मी० + 6 मि०मी० + 5 मि०मी० + 10 मि०मी०

रैल सतह - - - -

विषमता

(छोटी लाइन

में 2-74

मी० तथा बड़ी

लाइन में 3-6

आधार पर

3- सीधार्ह (10 + 5 मि०मी० + 5 मि०मी० + 8 मि०मी० + 8 मि०मी०

मी० की - - - -

ढोरी पर

4- आढ़ा + 3 मि०मी० + 6 मि०मी० + 5 मि०मी० + 10 मि०मी०

पसल - - - -

5- स्टेन (छोटी 5 मि०मी० 7 मि०मी० 8 मि०मी० 10 मि०मी०

लाइन में

2-74 मी

तथा बड़ी

लाइन में

3-6 मी०

आधार पर)

टिप्पणी:- उपर्युक्त दर्शाया गया सीमाएँ सामान्यता वही है जो "ए" श्रेणी के लिए तथा शाखा लाइन में "बी" श्रेणी की जरूरी सीमा के लिये निर्धारित है। लम्बाई में तल के अन्तर का जहाँ तक सवाल है। उसकी रेलपथ में दो उच्च स्थानों के बीच में ठीक दूरी करना अनिवार्य है। जैसा की मराम में होता है।

422 रेलपथ ढुंढियों के निवारण का वही तरीका होगा जैसा की भारतीय रेलवे, रेलपथ सर्व निर्माण नियमावली (वे स्पेड वर्क्स मैनुअल) तथा समय समय पर प्रसारित होने वाली अन्य नियमावतियों में बताया गया है।

ढुंढि निवारण के लिए कम से कम आवश्यक दूरी के ही रेलपथ की मरम्मत की जायेगी। अतः एक स्लीपर में कुटार की आवश्यकता होने पर उसी स्लीपर तथा समीपवर्ती दो स्लीपरी की ही कुटार की जरूरत होगी

43 ढुंढि निवारण के उपरान्त रेलपथ की पुनर्जचि।

431 गिट्टी भरार से पहले गैंगनायक, किये गये काम की जचि करेगा तथा जचि के परिणामी के दल निरीक्षण पुस्तिका (दनिपु)- अनुलम्बक।) में लिख देगा।

432 अगर सब ढुंढियों का निवारण हो चुका है तो गैंगनायक कोफियत वाले खाने में सिर्फ " सब ठीक " लिख सकता है। परन्तु अगर कुछ ढुंढियाँ रेलपथ में रह गयी है तो वह उन कमियों को लिख देगा

ऐसे मामलों में एक उदाहरण निम्नलिखित हो सकता है ।

"स्लीपर नम्बर 10 तथा 13 में चाभी लगाने के अतिरिक्त सब ठीक "

50 निरोपानु0 दल के उपकरण

51 प्रत्येक निरोपानु0 दल के पास नियमित औजारों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपकरण भी होंगे :-

- 1- सिधार्व सर्व सतह विषमता की जाँच के लिये 25 मीटर लम्बी, 16 किलो तनाव के लिए प्रमाणित नाइलोन डोरी -1 अदद
- 2 पैड़ीदार गुटका (स्टेपड गज) (जिसके प्रत्येक पैड़ी से 1-1 मिमी बढ़ती हुई नाप ली जा सके ।) -1 अदद
- 3 आयाम तल मापक (मापित शाकल भराई वाला स्प्रिंग गेज और संचितनशील पसाल) । -1 अदद
- 4 जाँच गदा (कैनेवेल) -1 अदद
- 5 मिमी में अशांकित 15 से0मी0 लम्बी लोहे की पट्टी - 1 अदद
- 6 सीधी पट्टी- 1 मीटर लम्बी - 1 अदद
- 7 सीटी या विगुल - 1 अदद

60 गतिशीलता

61 निरोपानु0 की सफलता बहुत कुछ गैंग की गतिशीलता के उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें दल का कार्य क्षेत्र परम्परागत अनुकरण वाले से लम्बा होता है ।

62 गैंग की गतिशीलता के लिये गैंगमैनो को अपनी साइकिलें रखने

के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । इस : उद्देश्य के लिये : उनको मुक्त रूप से साइकिल खरीदने और रख- रखाव के लिये नियमानुसार अग्रिम - धन राशि आदि की सुविधा दिये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

- 6.3 बंधि (बैक) पर सुविधापूर्वक साइकिल चलाने हेतु एक तरफ का किनारा ठीक कर दिया जाना चाहिये । इसके लिए बंधि की चौड़ाई बड़ी लाइन में 7 1/4 मी० (24 फीट) तथा छोटी लाइन में 6 मी० (20 फीट) होनी चाहिये ।

अतिरिक्त चौड़ाई का कार्य गैंग द्वारा स्वयं किया जाये । (अतिरिक्त चौड़ाई के लिए मिट्टी के कार्य के वास्ते क्रॉई, अतिरिक्त धन खर्च नहीं किया जाना है ।) तथा उसके लिए बगल ढाल 2:1 के बजाय 1:1 होगा और बगल ढाल में समुचित पेड़ी- कटार्ड (बेचिंग) व घास- उगाई (टर्फिंग) कर दी जानी चाहिये ।

जो : गैंग मैन साइकिल से कार्य - स्थल पर नहीं जाते है उनको गैंग- नायक जब स्वयं जायें तो अपने साथ टूली पर ले जायें, प्रत्येक गैंग नायक को टूली के लिए एक प्रधान ठेलेवाला तथा एक ठेलेवाला दिया जायेगा । टूली ठेलने का कार्य ठेले पर जाने वाले गैंगमैनों द्वारा भी किया जायेगा ।

- 6.4 जैसे- जैसे "मोपेड" ठेला उपलब्ध होगे तैसे- तैसे एक-एक प्रत्येक निरीपानु० दल को दे दिया जाये तथा प्रधान ठेलेवाले के स्थान पर एक चालक (ड्राइवर) सह- मिस्त्र नियुक्त कर

दिया जाये । " मोपेड " ठेला हो जाने पर, गैंग के कार्यक्षेत्र तक जल्द पहुँचाने के लिए, टूली का एक से अधिक चक्कर भी लगाया जा सकेगा ।

चालक- सह - मिस्त्र/गैंग नायक/अरेपनि/रेपनि को टूली चलाने की योग्यता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित सहायक इंजीनियर द्वारा दिया जा सकता है ।

7-0 निरेपानु0 पदधृति में रेलपथ अनुरक्षण का वार्षिक कार्यक्रम

7-1 निरेपानु0 पदधृति के वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रेलपथ अनुरक्षण तथा सम्बन्धित प्रासंगिक कार्य अनुलग्नक- 2 के अनुसार होना चाहिये, इस सम्बन्ध में सहायक इंजीनियरी तथा रेलपथ निरीक्षकों को स्पष्ट आदेश जारी करना आवश्यक है ।

7-2 निरेपानु0 पदधृति में व्यवस्थित खुलाई(ओवर हालिंग)/ निरन्तर कुटाई(थ्रू - पौकिंग) की व्यवस्था में, गिट्टी के पर्याप्त होने पर हलाके के एक तिहाई में तथा पर्याप्त न होने पर दल की पूरी लम्बाई में, स्लीपर्स के बीच तथा सिरों पर की गिट्टी की कनाई की जानी चाहिये ।

रेलपथ में पर्याप्त गिट्टी न होने पर दल की बाकी दो तिहाई लम्बाई में भी स्लीपर के सिरों पर की गिट्टी की कनाई जल निकासी में सुधार हेतु की जानी चाहिये ।

8-0 गैंग चार्ट को रखना

गैंग चार्ट निर्धारित प्रपत्र में रखे जायेंगे । बार-

बार चाहने वाले रेलपथ छण्डों की जानकारी के लिए
गैंग चार्टों की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए ।
गैंग नायक उपरोक्त छण्डों से रैपनि तथा उच्च अधिकारियों
को अवगत करायेगें ताकि वे उचित निदान खोज सकें ।
9-0 गैंग-नायक तथा मेट के कर्तव्यः

9-1 गैंग नायक के कर्तव्य

- 9-1-1 प्रत्येक निरूपानु० दल का प्रभारी पर्यवेक्षक
गैंग नायक होगा । अपने इलाके की उत्तम देखरेख तथा
मरम्मत के साथ-साथ यातायात की सँबा गैंग-नायक
की मुख्य तथा सीधी जिम्मेदारी होगी ।
- 9-1-2 किसी आदेश का हतजार किये बगैर ऐसे स्थानों की मरम्मत का
कार्य कर देना चाहिये जिनके लिये फेरन कार्रवाई करनी
है । जिन त्रुटियों का निवारण उसकी सामर्थ्य के बाहर
हो रैपनि० को उसके बारे में रपट भेज देनी चाहिये ।
जब तक स्थल को ठीक नहीं कर दिया जाता यातायात
की सँबा के लिये उसे उचित उपाय कर देना चाहिये ।
- 9-1-3 औजारों के पूरे तथा सही रखने के लिये थोड़े-थोड़े
समय पर उनकी जाँच करनी चाहिये । आयाम तल मापक
पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।
- 9-1-4 सप्ताह में एक बार उसे अपने सम्पूर्ण इलाके में जाना
चाहिये ।
- 9-1-5 उसे अपने उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये अन्य
कर्तव्यों का पालन करना होगा ।

9.2. मेट के कर्तव्य:-

9.2.1 भारतीय रेलवे रेलपथ तथा निर्माण नियमावली (वे
एण्ड कर्स मैनुअल) के अध्याय 5 में दिये गये
कर्तव्यों के अलावा निरूपानु० दल में मेट के निम्नलिखित
कर्तव्य और होंगे ।

9.2.2 मेट , गैंग नायक के नियंत्रण में रहेगा तथा उसके
निर्देशानुसार कार्य का पर्यवेक्षण करेगा । रेलपथ की
त्रुटियों को दुरु करने उसकी नाप लेने तथा रेलपथ मरम्मत
कार्य में वह गैंग नायक की मदद करेगा ।

9.2.3 उसे उच्च अधिकारियों द्वारा बताये गये अन्य कर्तव्यों
का पालन करना होगा ।

कृते महाप्रबन्धक (इंजी)

अनुलग्नक - 11

निर्देशित रेलवर्क अन्तर्गत का वार्षिक कार्यक्रम

क्र	अवधि	सप्ताह में दिन	कार्य
1	2	3	4
वर्ष के बाद	16 अक्टूबर से 15 फरवरी	5	अवस्थित बुलाई/निर्माणा, कुटाई निरीक्षण बद्धति/अनुसार 1. रेलनि द्वारा निर्धारित कार्य- क्रमानुसार निरीक्षण बद्धति से बुल के हेरों, समझों, निरीक्षण टिप्पणियाँ, रेलवर्क अभिलेखी बान टिप्पणियाँ तथा हेलेह रेलवर्क अभिलेखन टिप्पणियाँ आदि पर ज्ञान देना ।
	16 फरवरी से 15 मई	4	रेल जेड्डे का सेहन(अपलिग एवं ग्रेडिंग) तथा काटी वा बारको की देखभाल । 2. रेलनि जेा द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार निरीक्षण बद्धति से बुल के हेरों,

1.	2	3	4
----	---	---	---

समपारी , निरीक्षण टिप्पणियों , रेलपथ
अभिलेखी यान टिप्पणियों तथा रैलेड
रेलपथ अभिलेखन टिप्पणियों आदि पर
ध्यान देना ।

16 मार्च से 5 5 व्यवस्थित निरेपानु० द्वारा रेलपथ की
15 अप्रैल देखभाल

। रेपनि द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार
निरेपानु० पद्धति से पुल के कैरी,
समपारी , निरीक्षण टिप्पणियों
रेलपथ अभिलेखी यान टिप्पणियों तथा
रैलेड रेलपथ अभिलेखन टिप्पणियों
आदि पर ध्यान देना ।

वर्षा 16 अप्रैल 4 व्यवस्थित निरेपानु० द्वारा रेलपथ की
पूर्व से 15 जून देखरेख ।

। रेपनि द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार
निरेपानु० पद्धति से पुल के कैरी,
समपारी , निरीक्षण टिप्पणियों , रेलपथ
अभिलेखी यान टिप्पणियों तथा रैलेड
रेलपथ अभिलेखन टिप्पणियों आदि पर
ध्यान देना ।

1	2	3	4
---	---	---	---

1. पार्व तथा जल ग्राही नालियों की सम्मर्द, बैक मरम्मत कार्य तथा यार्ड जल निकासन व्यवस्था पर ध्यान देना ।

वर्षा 16 जून
कालीन से
15 अक्टूबर

आवश्यकतानुसार रेलपथ की देख रैज इसमें मुख्यतः निम्न कार्य सम्मिलित होंगे, निरोपानु० द्वारा रेलपथ की मरम्मत, तथा पार्व नालियों, जल ग्राही नालियों स्वम् पुल के जल मार्गों की देख भाल

दिन स्वम्, रक्त में

में नियमित वर्षाकालीन गस्त के जारी रहने पर भी, अत्याधिक वर्षा के समय गैंग द्वारा भी गस्त की जानी चाहिये । जैसा कि भा० रैल० रेलवय सर्व कार्य नियमावली के अनुच्छेद 514 में दर्शाया गया है

दल निरीक्षण पुस्तिका

भूमि नावो तथा निवारणार्थ के विवरण का एक नमूना

कुल सीपर 150 जेडों पर

कि 0मी0249 तार सँख्या 5-6

डुटि को : भूमि मापी : ठाले सीपरों : गल में अंतर : आड़े पसल में : रेल सतर विषमता /
 जाल को : की तिथि : की सँख्या व : अंतर (मिमी) : कोटी लाइन में 2-74
 कराने का : प्रतिशत : : भी तथा बड़ी लाइन :
 क्षेत्र : : : : में 36 मी0

आधार पर

क्रांति रेल : दायि रेल

1	2	3	4	5	6	7
रेलपथ	29-1-78	2, 28, 48, 71	4(3)	5(3)10	27(4मिमी)	27(4मिमी)
अभिलेखी		इत्यादि 15	10(-3) इत्यादि	(-3) प्रथम सँख्या	68(-5मी0 68(5मिमी)	मी) प्रथम सीपर नम्बर
यान			प्रथम सँख्या सीपर	कोटक की सँख्या	सँख्या तथा	कोटक विषमता
28-1-78			नौ दर्शाती है तथा	आड़े पसल अंतर	कोटक	रेल सतर
			कोट की सँख्या गज	को दर्शाती है /	रेल सतर	को
			के अन्तर को दर्शाती	दाहिनी रेल उठी	को	दर्शाती
			है 1 ढाली गज(4)	होने पर (-) और	दर्शाती	है ।
			तथा तंग गज(-)	दाहिनी रेल नीचे		
			द्वारा दर्शाया जाता	होने पर (4)		
				दिखाया जायेगा		

10 मी आधार में सिधार्ह की त्रुटि	वर्धक	त्रुटि निवारण का विवरण			कौफियत तथा पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
		दोष	तारीख	दोष निवारण	
बायीं रेल	दक्षिण रेल	धार्		सम्बन्धित कौफियत	
8	9	10	11	12	13
29 (3) प्रथम सख्या सीपर नम्बर तथा कोष्टक की सख्या 10 मी 0 डेरी के आधार पर अर्ध बेप को दर्शाती है।	29 (-3) 2 चाभी (10) कोला (10, 15)	2 जुला	2-2-78	सब ठीक 2 कुल्ला कीला (10, 15) नहीं बदला गया।	20 कुल्ला कीला गेग प्रधान को बोये हुए के स्थान पर लगाने के लिए दिये गये।
कोष्टक की सख्या सीपर नम्बर दर्शाती है जिसके बन्धक डाले या बोये हुए है।					हस्ताक्षर
					२०५०/१०

उपयोग किये गये तकनीकी शब्दों का अंग्रेजी पर्याय

निर्देशित रेलपथ अनुरक्षण (निरिपानु0)	- Directed Track Maintenance (DTM)
आवश्यकता जनित अनुरक्षण	- Need based maintance
पर्यवेक्षण	- Supervision
कर्षण प्रतिरोध	- Tractive Resistance
अनुरक्षण क्षेत्र	- Gang beat
गैंग नायक	- Gang Chief
रेलपथ ज्यामिति	- Track Geometry
विकार	- Defects
दल निरीक्षण पुस्तिका (दनिपु)	- Unit Inspection Book (UIB)
स्लीपर कुटार्ड	- Sleeper packing
गज	- Gauge
आढ़ा पसाल	- Cross level
सीधार्ड	- Alignment
रेल सतह विषमता	- Uneven ness
पैड़ी दार गुटका	- Sleeper feeler gauge
आयाम तल मापक	- Gauge-cum-level
बंका	- Bank
पैड़ी कटार्ड	- Benching
घास उगार्ड	- Turfing
प्रधान ठैलैवाला	- Head Trolley Men

उपयोग किये गये तकनीकी शब्दों का अंग्रेजी पर्याय

ठैला वाला	- Trolley Men
बगल ढल	- Side slope
चालक सहमिस्त्री	- Driver-cum-Mechanic
व्यवस्थित झुलाई	- Over-hauling
निरंतर कुटाई	- Through packing
तेल जोड़ों का स्नेहन	- Oiling & greasing
पुल के ढोर	- Bridge approaches
समपार	- Level crossing
पार्वी नालियाँ	- Side drains
जलग्राही नालियाँ	- Catch water drains
पुल का जल मार्ग	- Bridge water way